

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-22/2016-

131 आय 22 / कृ., पटना, दिनांक 28/11/2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

विषय : प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली कार्य मदों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रांश 446.860 लाख रु० (चार करोड़ छियालीस लाख छियासी हजार रु०) तथा राज्यांश 297.906 लाख रु० (दो करोड़ सन्तानवे लाख नब्बे हजार छ सौ रु०) कुल 744.766 लाख रु० (सात करोड़ चौवालीस लाख छिहत्तर हजार छ सौ रु०) मात्र की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹7,44,76,600 (सात करोड़ चौवालीस लाख छिहत्तर हजार छ सौ रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4835 दिनांक-17.11.2016 द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली कार्य मदों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रांश 446.860 लाख रु० (चार करोड़ छियालीस लाख छियासी हजार रु०) तथा राज्यांश 297.906 लाख रु० (दो करोड़ सन्तानवे लाख नब्बे हजार छ सौ रु०) कुल 744.766 लाख रु० (सात करोड़ चौवालीस लाख छिहत्तर हजार छ सौ रु०) मात्र की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹7,44,76,600 (सात करोड़ चौवालीस लाख छिहत्तर हजार छ सौ रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹7,44,76,600 (सात करोड़ चौवालीस लाख छिहत्तर हजार छ सौ रु०) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹3,72,68,000 (तीन करोड़ बहत्तर लाख अड़सठ हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0218-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-P2401001090218, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹7,44,76,600 (सात करोड़ चौवालीस लाख छिहत्तर हजार छ सौ रु०) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹70,16,000 (सत्तर लाख सोलह हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0239-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-P2401007890239, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹7,44,76,600 (सात करोड़ चौवालीस लाख छिहत्तर हजार छ सौ रु०) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹4,02,000 (चार लाख दो हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0261-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-P2401007960261, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उपरोक्त ₹7,44,76,600 (सात करोड़ चौवालीस लाख छिहत्तर हजार छ सौ रु०) मात्र में से राज्यांश मद का ₹2,48,45,300 (दो करोड़ अड़तालीस लाख पैतालीस हजार तीन सौ रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0318-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-P2401001090318, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

सुभा

28/11/16

6. उपरोक्त ₹7,44,76,600 (सात करोड़ चौवालीस लाख छिहत्तर हजार छ सौ रु०) मात्र में से राज्यांश मद का ₹46,77,300 (छियालीस लाख सतहत्तर हजार तीन सौ रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0339-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-P2401007890339, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. उपरोक्त ₹7,44,76,600 (सात करोड़ चौवालीस लाख छिहत्तर हजार छ सौ रु०) मात्र में से राज्यांश मद का ₹2,68,000 (दो लाख अड़सठ हजार रु०) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0361-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-P2401007960361, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

9. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक

131 आब2न

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 28/11/2016

ज्ञापांक

131 आब2न

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 28/11/2016

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि विभाग, बिहार पटना/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभीकरण (आत्मा)/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।